

राजस्थान सरकार
कृषिभूमि-21, विभाग

क्रमांक: - प.1012/कृषि-2/75

जयपुर, दिनांक 23 MAY 2005

-: अधिसूचना :-

राजस्थान कृषि उपज अधिनिियम, 1961 (अधिनिियम संख्या 38
सन् 1961) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य
सरकार सरकार द्वारा उक्त अधिनिियम की संलग्न अनुसूचि में निम्नलिखित संशोधन
करती है अर्थात् :-

-: संशोधन :-

उक्त अधिनिियम की संलग्न अनुसूचि में क्रम सं० 9 पर अंकित
शीर्षक "वन उपज" के अन्तर्गत विद्यमान अधिलिखित "बांस"
को क्लिप्त किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,

कै. सी. शर्मा
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना के अर्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

- 1- अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय सुदामागव, जयपुर को राज्य के अलाभारण
अंक में प्रकाशनार्थ ।
- 2- समस्त पिना कोक्टर ।
- 3- निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राज्ज जयपुर ।
- 4- समस्त क्षेत्रीय सहायक निदेशक, कृषि विपणन ।
- 5- रक्षित प्रशासकी ।

कै. सी. शर्मा
उप शासन सचिव